राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9, अण्डर हिल रोड़, दिल्ली –110054

सं. एफ 19(04)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2019/67490 दिनांक 28-07-2021

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

विषय :– दिनांक 29/07/2021 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या –07.

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ संलग्न है।

(विकास जैन)
पीसीओ (सचि0)
VIKAS JAIN
Pollution Control Officer
Transport Department
5/9, Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम – परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता – 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054

तारांकित प्रश्न संख्या– 07

सदस्य का नाम – श्री विजेन्द्र गुप्ता,

दिनांक – 29.07.2021

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क. सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का छह महीने के अंदर तथा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद से पहले स्थानांतरित किए जाने का क्या कारण है;	प्रश्न सेवा विभाग (Services Department) के विषय से सम्बन्धित है। सेवा विभाग (Services Department) ने सूचित किया है कि सेवा से जुडे हुए मामले माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते है।
ख)	डीटीसी बोर्ड के चेयरमेन के पद पर अधिकारियों की नियुक्ति की परिपाटी को बदलकर उनके स्थान पर राजनीतिक नियुक्तियों को करने का क्या कारण है;	दिल्ली सरकार ने रोड ट्रांस्पोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली की अनुशंसा के उपरान्त माननीय परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार को दिल्ली परिवहन निगम का अध्यक्ष दिनांक 07.06.2018 से नियुक्त किया गया है।
ग)	अनुबंध में तीन वर्ष की वारंटी का उपनियम होने के बावजूद दो बस आपूर्तिकर्ताओं को पहले तीन वर्ष के लिए रख–रखाव शुल्क के नाम पर अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए दिए जाने का क्या कारण है;	यह असत्य है कि दो बस आपूर्तिकर्ताओं को पहले तीन वर्ष के लिए रख–रखाव शुल्क के नाम पर अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए दिए है। Comprehensive Annual Maintenance Contract देने की प्रकिया खुली निविदा (Open Tender) तथा पारदर्शी (Transparent) तरीके से की गयी है। वारंटी तथा पूर्णवार्षिक रखरखाव अनुबंध (Comprehensive Annual Maintenance Contract–CAMC) अलग–अलग चीजें (Concepts) है। वारंटी की निर्धारित सीमा में मूलतः Manufacturing Defects के निवारण के लिए गतिविधिया शामिल होती है। रखरखाव से संबंधित जो गतिविधियाँ वारंटी में शामिल नहीं है उन्हें Comprehensive Annual Maintenance Contract में शामिल किया जाता है। DTC द्वारा अबतक जारी किए गए सभी टेंडरों में Comprehensive Annual Maintenance Contract के लिए नियम व शर्ते (terms and conditions) एक जैसी ही रहीं हैं, ये नियम व शर्ते वैसी ही है जैसी कि DTC द्वारा जारी किए गए वर्ष 2006 एवं 2008 के टेंडर में थी।
घ)	डीटीसी के सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट दिनांक 04.06.2021 को सार्वजनिक न करने के क्या कारण हैं;	दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि इस निगम के सतर्कता विभाग द्वारा संबंधित मामलें में कोई भी रिपोर्ट नही दी गई है।
ङ)	इन बसों की खरीद के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा जाँच को	सर्तकता निदेशालय, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि यह विषय एक पुलिस या सेवा का विषय है जोकि माननीय

Dr. Narendra Kumar Singh
Joint Commissioner
Transport Department
Government of NCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054

	स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं;	उपराज्यपाल, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
च)	'वर्क ऑर्डर' को अनिश्चित काल के लिए रोकने के क्या कारण हैं;	सतर्कता विभाग द्वारा भेजी गयी एक शिकायत के कारण तथा पूरे मामले पर एक निष्पक्ष दृश्य (Fair view) लेने के लिए वर्क आर्डर के Implementation को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
छ)	उन 71 कामों की सूची, जिनके आधार पर माननीय मंत्री एएमसी को न्यायोचित ठहराते हैं; और	DTC द्वारा अबतक जारी किए गए सभी टेंडरों में Comprehensive Annual Maintenance Contract के लिए नियम व शर्तें (terms and conditions) एक जैसी ही रहीं हैं, ये नियम व शर्ते वैसी ही है जैसी कि DTC द्वारा जारी किए गए वर्ष 2006 एवं 2008 के टेंडर में थी। DTC द्वारा 1000 नई बसों की Comprehensive Annual Maintenance Contract के लिए जारी किये गये टेंडर के जी.सी.सी. (General Conditions of Contract) के क्लॉज संख्या 22.1 में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि Contractor को सीएनजी के अलावा बस में रखरखाव संबंधित सभी कार्य करने हैं।(*Only CNG fuel shall be provided by the purchaser during CAMC period*). जिसमें सामान्य तौर पर निम्न कार्य भी शामिल होते हैं, हालांकि, यह सूची exhaustive नहीं है: Preventive रखरखाव/रूटीन रखरखाव, समान्य वियर/टियर, माईनर/मेजर रिपेयर/Assemblies और Sub-assemblies की ओवरहालिंग, ब्रेकडाउनस, बस में आग लगनें से क्षति होना, दुर्घटना से बस में क्षति होना, घिसे हुए या कट वाले टायरों कों बदलना, बस बोडी रिपेयर, वाहन की फिटनेस पास कराना, Pollution Control का Certificate लेना आदि सम्मलित है। 2006 से Comprehensive Annual Maintenance Contract के अंतर्गत बसों के रखरखाव संम्बधित अनुभव एवं Comprehensive Annual Maintenance Contract, RFP/निविदा दस्तावेज में उल्लेखित निष्कर्षो के अनुसार लगभग 71 गतिविधियों को दैनिक रखरखाव के लिए Comprehensive Annual Maintenance Contract में सम्मिलित माना जा सकता है और यह वारंटी का हिस्सा नही है, ये 71 गतिविधियां illustrative है न कि exhaustive इसलिए इनको टेन्डर में सूचीबद्व नहीं किया जा सकता।
ज)	इन्हें टेडंर या 'वर्क ऑर्डर' में सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं ?	

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(डा0 नवलेन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त आयुक्त (परिहवन)

Dr. Navlendra Kumar Singh
Joint Commissioner
Transport Department
Government of NCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054